[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–8 एच०एल०ए०

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2026

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 2017 के हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 7 का प्रतिस्थापन।

"7. भूमि का विनिमय.– प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 6 के अधीन नोटिस जारी किया गया है, समेकन के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का प्रयोग करेगा, अर्थात्:–

(i) विस्थापन अधिमूल्य के रूप में दस प्रतिशत अतिरिक्त भूमि के साथ उसी राजस्व संपदा में बराबर क्षेत्रफल की भूमि प्राप्त करना; अथवा

(ii) उसी राजस्व संपदा में ऐसी भूमि की अनुपलब्धता के मामलें में, विस्थापन अधिमूल्य के रूप बीस प्रतिशत अतिरिक्त भूमि के साथ निकटवर्ती राजस्व संपदा में बराबर क्षेत्रफल की भूमि प्राप्त करना:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति नोटिस में दी गई, नियत अवधि के भीतर खण्ड (i) या (ii) में यथा उपबंधित किसी विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी, परियोजना के लिए भूमि का समेकन करने का निर्णय लेने और अगामी कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा:

परन्तु यह और कि ऐसा व्यक्ति अपने स्वामित्वाधीन परियोजना भूमि पर विद्यमान किसी निर्माण या संरचना के लिए भी ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा, जो ऐसे अधिकारी, जो कार्यकारी अभियन्ता की पद्वी से नीचे का न हो, द्वारा निर्धारित किया जाए।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 (2017 के हरियाणा अधिनियम संख्या 28) का उद्देश्य किसी परियोजना को स्थापित करने की वजह से रह गए भू–खण्डों को समेकित करने तथा उससे सम्बन्धित या उससे अनुवांशिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करना है। मूल अधिनियम को हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15) द्वारा संशोधित किया गया। धारा 7 के अधीन भुगतान योग्य प्रतिकर के संबंध में विभिन्न सिविल रिट याचिकाएं (सी०डब्ल्यू०पीज़) दायर की गई हैं। 2019 के सिविल रिट याचिका संख्या 15676, शीर्षक मूल चंद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य समान रिट याचिकाओं में, माननीय उच्च न्यायालय (डिवीजन बेंच) ने अपने आदेश दिनांक 26.09.2024 द्वारा उक्त धारा 7 को प्रतिकर की राशि के संबंध में अति–विधिक (अल्ट्रा वायर्स) घोषित किया तथा निर्देश दिया कि प्रतिकर, ब्याज एवं क्षतिपूर्ति के निर्धारण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लाभों के लिए उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (आर०एफ०सी०टी०एल०ए०आर०आर० अधिनियम) की धारा 26, 27, 28, 29, 30, 31 तथा 32 के अंतर्गत परिकल्पित मानकों का पालन किया जाए।

इसलिए, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2026 की उक्त धारा 7 के विभिन्न उपबंधों को प्रतिस्थापित करना अनिवार्य हो गया है तथा प्रतिकर उपबंध संबंधी खण्ड को 'भूमि का आदान–प्रदान' शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है।

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2026 का लक्ष्य उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करना है।

विपुल गोयल,
राजस्व मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 मार्च, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 16 मार्च, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 से उद्धरण।

XX XX XX

धारा 7– प्रतिकर अथवा समान मूल्य की भूमि–

प्रत्येक व्यक्ति, जिसको धारा 6 के अधीन नोटिस जारी किया गया है, समेकन के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का प्रयोग करेगा, अर्थात्:–

(i) ऐसी दर पर प्रतिकर प्राप्त करना जिस पर परियोजना के साथ लगती भूमि राज्य सरकार या अभिकरण द्वारा खरीदी गई थी या ऐसी भूमि के लिए कलक्टर दर जमा बीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो; अथवा

(ii) उसी राजस्व संपदा में और उसी राजस्व संपदा में ऐसी भूमि की उपलब्धता नहीं होने की दशा में, निकटवर्ती राजस्व संपदा में समान मूल्य की भूमि का समान क्षेत्र प्राप्त करना :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति नोटिस में यथा उपबंधित नियत अवधि के भीतर खण्ड (i) या (ii) में यथा उपबंधित विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त दो विकल्पों में से किसी एक के अनुसार भूमि का समेकन करने के लिए विनिश्चय करने और आगामी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

"परन्तु यह और कि जहां व्यक्ति खण्ड (ii) के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, तो वह ऐसी भूमि के लिए कलक्टर दर के दस प्रतिशत के समान अतिरिक्त प्रतिकर प्राप्त करेगा :

परन्तु यह और कि दोनों मामलों में, व्यक्ति उसके स्वामित्वाधीन विद्यमान परियोजना भूमि पर किसी निर्माण या संरचना के लिए ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने हेतु हकदार होगा, जो ऐसे अधिकारी, जो कार्यकारी अभियन्ता की पदवी से नीचे का न हो, द्वारा निर्धारित किया जाए।"।

12499–H.V.S.–H.G.P., Pkl.